SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. KATIRA, ARA -802301
शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा, आरा –802301

शादुसंःपरिवहनःनिविदाः 4113 दिनांकः 03/10/25

:: परिवहन निविदा सूचना ::

शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा आरा के क्षेत्रान्तर्गत कैम्प–भोजपुर, (आरा), डुमरॉव (बक्सर), में दुग्ध संग्रहण क्षेत्र के विभिन्न पथों में अवस्थित दुग्ध समितियों से, डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कुलर तक कच्चे दूध का परिवहन कार्य करने हेतु दो वर्ष तक की अवधि के लिए टाटा–407/टाटा ए0सी0ई0/बोलोरो पिकप/मैक्स पिकप इसके समतुल्य गाड़ियों की आवश्यकता है, जिसका निर्माण वर्ष–जनवरी 2021 के पूर्व का न हो। भाड़े पर देने वाले इच्छुक परिवहन संवेदकों (गाड़ी मालिकों) से मुहरबन्द लिफाफा में दिनांक 25.10.2025 को 4:00 बजे अपराह्न तक केवल पंजीकृत डाक/कुरियर/हाथो–हाथ के माध्यम से निविदा प्राप्त किये जायेगें।

निविदा प्रपत्र, एकरनामा से सम्बन्धित शर्तो, पथों की विवरणी/विभिन्न पथों में लगाई जानेवाली गाड़ियों के प्रकार का विवरणी इत्यादी के साथ निविदा प्रपत्र दिनांकः 06.10.2025 से 25.10.2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में 200/–नगद जमा कर संघ मुख्यालय, आरा से निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक पथ के लिए अलग–अलग निविदा भरे जायेंगे। निविदा प्रपत्र कॉम्फेड/संघ के वेबसाइट– Sudha.coop/smusudhaara.com पर लॉग ऑन करें।

भरे गये निविदा कैम्प भोजपुर जिला का दिनांक 31.10.2025 को एवं कैम्प डुमराँव (बक्सर) जिला का दिनांक 03.11.2025 को, वर्णित तिथियों के अनुसार 1:00 बजे अपराह्न से दुग्ध संघ मुख्यालय आरा डेयरी आरा के सभाकक्ष में निविदाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तकनीकी निविदा (बीड) खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (बीड) में सफल निविदाओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।

एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने/निविदा की तिथि घटाने या बढ़ाने/संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

3/X/25
प्रबंध निदेशक
03.10.25

प्रति :– महाप्रबंधक, कॉम्फेड, पटना को कृपया सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु सादर सूचनार्थ।
:– प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0– पटना/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/भागलपुर/बरौनी/सुपौल/गया– कृपया सुचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु – सादर सूचनार्थ।
:– मुख्य कार्यपालक, डेयरी– राँची/जमशेदपुर/बोकारो/गया/पूर्णीया/नालन्दा, कृपया सुचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने हेतु – सादर सूचनार्थ।
:– सभी शाखा प्रधान/इकाई प्रभारी शादुसंः आरा, बिहियाँ, आर.डी.पी. रोहतास, कोचस, डुमराँव, कैमूर डेयरी मोहनियाँ, –सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराना चाहेंगे।

SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. KATIRA, ARA -802301
शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा, आरा –802301

दुग्ध संघ के अन्तर्गत भोजपुर, डुमराँव (बक्सर) के विभिन्न दुग्ध पथों में दुग्ध परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परिवहन निविदा के संबंध में।

तकनीकी बीड–प्रपत्रः–

1. पथ संख्या, जिसके लिए निविदा भरा गया हो :–
2. पथ का नाम (कहाँ से कहाँ तक) :–
3. तय की जाने वाली दूरी (अनुमानित), जो संलग्न सूची में इंगित है। :–
4. गाड़ी मालिक का नाम :–
5. आधार नम्बर :–
6. पैन सं0 :–
7. पूरा पता– ग्राम.. पो0.. थाना ....
   – जिला.................................. पिन .... मो0 नं0..
8. संघ में नकद जमा राशि का रसीद नं0 / डिमांड ड्राफ्ट नं0................................ राशि......................
9. **गाड़ी संबंधी सूचना–**
   क. ऑनर बुक में गाड़ी मालिक का नाम :–
   ख. गाड़ी का प्रकार / मॉडल :–
   ग. कम्पनी का नाम :–
   घ. निबंधन संख्या :–
   ड़. क्रय वर्ष :–
   च. टैक्स टोकन किस अवधि तक जमा की गई है। :–
   छ. किस वर्ष / तिथि तक बीमा प्रिमियम की राशि जमा की गई है। :–
   ज. गाड़ी निबंधन की मान्य तिथि, (कब तक लागू है) :–
   झ. प्रदुषण समाप्ति की तिथि :–

नोट –

(ऑनर बुक, निबंधन प्रमाण–पत्र, रोड परमिट, अद्यतन टैक्स टोकन,प्रदुषण, बीमा कागजात, पैन संख्या, आधार नम्बर, चालक का लाइसेंस, की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)।

घोषणाः–

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैने दुग्ध परिवहन निविदा के सम्बन्ध में एकरानामा में उद्धत करार एवं शर्तो के क्रमांक (एकरारनामा के क्रमांक – 01 से 30 तक में अंकित शर्तो को पढ़ वो समझ लिया हूँ। सभी करार शर्तो को पालन करने हेतु सहमति देता / देती हूँ।

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

परिवहन संवेदक का हस्ताक्षर

तिथि :–

नोट :–1.आवेदन शुल्क रूपये 200 (दो सौ) रूपये मात्र एवं अग्रधन की राशि रूपये 1000 (एक हजार) रूपये नकद जमा राशि का रसीद / बैंक ड्राफ्ट इसके साथ संलग्न करें।
2.तय की जाने वाली दूरी दोनों पालियों में अनुमानित दूरी है। भौतिक सत्यापन के आधार पर अथवा कार्य की आवश्यकता के आधार पर दूरी घट / बढ़ सकती है।

03.10.25

दुग्ध संघ के अन्तर्गत भोजपुर, डुमराँव (बक्सर) के विभिन्न दुग्ध पथों में दुग्ध परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परिवहन निविदा के संबंध में।

वित्तीय बीड–प्रपत्रः–

1. पथ संख्या, जिसके लिए निविदा भरा गया हो :–
2. पथ का नाम (कहाँ से कहाँ तक) :–
3. तय की जाने वाली दुरी (अनुमानित), जो संलग्न सूची में अंकित है। :–
4. गाड़ी मालिक का नाम :–
5. पिता का नाम :–
6. पूरा पता– ग्राम.. पो0.. थाना ....

   जिला.. पिन .... मो0 नं0..

(i) आधार कार्ड नम्बर :–

(ii) पैन नम्बर :–

7. गाड़ी का प्रकार एवं गाड़ी नम्बर :–
8. स्वीकार्य प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर (टॉल टैक्स सहित) अंको एवं शब्दों में दर अंकित करें। :–

घोषणाः–

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैने दुग्ध परिवहन निविदा के सम्बन्ध में एकरानामा में उद्धत करार एवं शर्तो के क्रमांक (एकरारनामा के क्रमांक – 01 से 30 तक में अंकित शर्तो का पढ़ वो समझ लिया हूँ, सभी करार शर्तो को पालन करने हेतु सहमति देता/देती हूँ।

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

तिथि :–

परिवहन संवेदक का हस्ताक्षर

नोट :–1. वित्तीय बीड–प्रपत्र में कोई कागजात संलग्न नहीं करें।

2. तय की जाने वाली दूरी दोनों पालियों में अनुमानित दूरी है। भौतिक सत्यापन के आधार पर अथवा कार्य की आवश्यकता के आधार पर दूरी घट/बढ़ सकती है।

03.10.25

दुग्ध परिवहन निविदा से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

1. भरे गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक निविदा के लिए अग्रधन राशि रू० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र नकद राशि लेखा में जमा करने का रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें, जो शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, आरा के नाम से आरा में भुगतेय होगा। बिना ड्राफ्ट या नकद जमा रसीद के संलग्न निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को अपने स्वामित्व का गाड़ी होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र में परिवहन दर प्रति किलोमिटर के आधार पर अंकित किया जाये। परिवहन दर में लागू टॉल टैक्स सम्मिलित होगा, अर्थात टॉल टैक्स का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत निविदा की लिखित सूचना गाड़ी मालिक को दी जायेगी तद्नुसार संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश पत्र के आधार पर निर्धारित तिथि को गाड़ी के प्रकार के अनुरूप नीचे अंकित जमानत राशि नगद अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से या परिवहन विपत्र पत्र से दो बराबर किस्तो में कटौती कर संघ में जमा करना होगा।

गाड़ी का प्रकार	जमानत राशि (रू०)
टाटा 407, एवं समतुल्य	30,000.00
बोलेरो पिकअप / मैक्स पिकअप एवं इसके समतुल्य	25,000.00
टाटा (ACE) एवं समतुल्य	20,000.00

उपरोक्त गाड़ी का तल लोहे के चदरे का होना अनिवार्य है।

4. भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, टैक्स टोकन, प्रदुषण, पैन नंबर, आधार कार्ड, बीमा संबधित कागजात तथा गाड़ी का फिटनेस कागजात की अधतन छायाप्रति संलग्न किया जाये। सभी वाहनों का निबंधन कमर्शियल होना अनिवार्य होगा।
5. भरे हुये निविदा प्रपत्र मात्र पंजीकृत डाक / कुरियर / हाथो–हाथ संघ मुख्यालय के पते से इस प्रकार भेजें कि संघ कार्यालय में दिनांक 06.10.20025 से 25.10.2025 के अपराह्न 4:00 बजे तक कार्यालय कार्य अवधि तक पहुँच जाये। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नहीं होगा।
6. भोजपुर जिला का तकनिकी निविदा दिनांक 25.10.2025 को एवं डुमराँव (बक्सर) जिला का तकनिकी निविदा दिनांक 03.11.2025 को वर्णित तिथियों के अनुसार 1:00 बजे अपराह्न से दुग्ध संघ मुख्यालय आरा डेयरी आरा के सभाकक्ष में निविदाताओं / प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तकनीकी निविदा (बीड) खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (बीड) में सफल निविदाओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
7. अलग–अलग पथों के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र शुल्क 200.00 रू० एवं अग्रधन राशि रू० 1000.00 (एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट / नकद जमा का रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। संघ को एक गाड़ी नंबर का एक से अधिक पथों के लिए निविदा प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में चयन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम दर के आधार पर योग्य पाये जाने के उपरांत किसी एक पथ में निविदा मान्य होगा। अन्य सभी पथों में एक गाड़ी नम्बर का दावा (निविदा) स्वतः समाप्त समझा जायेगा। निविदा प्रपत्र में निविदादाता के नाम से पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, अवश्य अंकित किया जाये तथा उसकी छाया प्रति संलग्न की जाये।
8. स्वीकृत निविदा की सूचना गाड़ी मालिक को मिलने के उपरांत जमानत राशि जमा नहीं करने या आवंटित परिवहन कार्य न्यूनतम 15 दिनों में संपादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि रू० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र संघ द्वारा जप्त कर ली जायेगी।

9. निविदा अस्वीकृत की स्थिति में संघ द्वारा अग्रधन राशि रू० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र वापस कर दी जायेगी।
10. जिस पथ के लिए निविदा भरा जायेगा उसी पथ में समिति के सचिव/अध्यक्ष एवं संघ के कर्मचारी तथा उनके संयुक्त परिवार का गाड़ी होने पर निविदा अमान्य होगा।
11. विभिन्न पथों में दुग्ध परिवहन का कार्य करने हेतु गाड़ी का निर्माण वर्ष मॉडल जनवरी 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। पूर्व में चोरी एवं अन्य अनियमितता में संलिप्त पाये गये संवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. पूर्व से ब्लैक लिस्टेड (चिह्नित) निविदादाता, जिनकी गाड़ी संघ के क्षेत्राधीन परिचालन अवधि में चोरी अन्य संदिग्ध मामलों मं संघ द्वारा आरोपी/दण्डित हो चुके हैं, वैसे परिवहन संवेदक द्वारा स्वयं या अपने संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गाड़ी का कागजात स्थानान्तरण करके निविदा भरने के पात्र नहीं होंगे। वैसे निविदादाताओं से प्राप्त निविदा पर किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा भरने के लिए एक बड़ा लिफाफा एवं दो छोटा लिफाफा का प्रयोग करें दो छोटा लिफाफा, जिसमें एक पर तकनीकी बीड एवं दूसरे पर वित्तीय बीड तथा दोनों पर स्वयं का पूरा पता एवं जिस जिला, जिस पथ में कार्य किया जाना है, पथ संख्या लिफाफा पर सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। दोनों में संबंधित कागजात भरकर बड़े लिफाफे में डालने के पश्चात् बड़े लिफाफे के ऊपर परिवहन निविदा अंकित करते हुए, पथ संख्या अवश्य अंकित किया जायेगा। प्रेषक का नाम, पता के साथ–साथ प्रेषित का पूरा पता– प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कतीरा, आरा, पोस्ट–नवादा, जिला– भोजपुर, पिन कोड़– 802301 साफ–साफ बड़े अक्षरों में लिखा जाये।

प्रबंध निदेशक

Prakash Aditya & Associates
PATNA
Chartered Accountants

SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. KATIRA, ARA -802301

शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा, आरा –802301

1000/– रू0 नन– जूडिशियल स्टाम्प, पईया/इक्सक्यूटिव पेपर पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु

:: एकरारनामा ::

यह एकरारनामा आज दिनांकः .... को शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0. कतीरा, आरा डेयरी, आरा जिसका कार्यालय कतीरा रोड, आरा, पोस्ट– नवादा, जिला– भोजपुर में अवस्थित **है** के तरफ से प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे "दुग्ध संघ" से सम्बोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष

श्री .... (गाड़ी मालिक का नाम) पिताः .... ग्रामः ....

पो0: .... जिलाः .... पिन कोडः .... के स्थायी निवासी है तथा जिनका पत्राचार का

पताः .... दूरभाष/मोबाईल संख्याः .... जिसे आगे 'संवेदक' से सम्बोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में संग्रहित कच्चे दुग्ध को .... (डेयरी/शीतक केन्द्र/बी०एम०सी०) जो शाहाबाद दुग्ध संघ की एक इकाई है, तक परिवहन कार्य करने तथा समितियों को जाँच सामान, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामिग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक कार्यादेश संख्या .... दिनांकः .... निर्गत किया गया है, जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादश में अंकित सभी शर्त एकरारनामा के शर्तों का हिस्सा समझा जायेगा, जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत है।

दोनों पक्षों द्वारा निविदा (एकरारनामा) में उद्धत शर्तें क्रमांक 01 से 30 तक अंकित सभी शर्तों को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी जब्र व दबाव के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में एकरारनामा (अनुबन्ध) किया गया।

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

01...

02...

हस्ताक्षर
(संवेदक)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)

01...

02...

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

परिवहन निविदा हेतु एकरारनामा की शर्ते

अनुलग्नक– 01

1. यह एकरारनामा दो वर्ष की अवधि तक के लिए जो कार्यादेश की तिथि से प्रभावी रहेगा। एकरारनामा समाप्ति के पश्चात् अच्छे कार्य के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तार का अधिकार "दुग्ध संघ" की होगी, जिसे "संवेदक" मानने के लिए बाध्य होंगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी। कार्य संतोषप्रद रहने पर आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार हेतु पिरवहन कमिटी द्वारा प्रबंध निदेशक को अनुशंसा किया जा सकता है, जिस पर प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
2. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा, जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्यूनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा।

   विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संध को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा 24 घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व परिवहन निविदा से संबंधित प्रमुख सूचना के आलोक में संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के समय दिये गये शर्तों के अनुसार गाड़ी परिचालक के मद् में संवेदक द्वारा जमानत राशि के रूप में गाड़ी मॉडल के अनुसार दुग्ध संघ में राशि जमा किया जायेगा, जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

   एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात् (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों के सचिव द्वारा निर्गत पत्र, संघ एवं शीतक केन्द्र/बी०एम०सी० के भंडार से "बकाया नहीं प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करने के पश्चात् सभी वशूलनीय राशि की कटौती के पश्चात् (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकरी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए बकाया संबंधित दावा प्रस्तुत करने का निर्देश निर्गत करेगा। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।
4. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर निर्गत समय–सारणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली में दुग्ध सहित केन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या फट जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती संवेदक के विपत्र से की जाएगी।
5. दुग्ध संघ से प्राप्त खाली केन, समिति को सम्बोधित पत्र, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामाग्री, हरा चाना बीज इत्यादि, संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (केन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे मांग पत्र, इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट/भंडार शाखा/बी0एम0सी0 में जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। परिवहन के दौरान सामग्रियों की टूट–फूट जाने, खो जाने, मात्रा की कमी, गुणवत्ता में अन्तर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी।

11. दुग्ध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारीयों (प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक, चारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबंधक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जाँच करने का अधिकार होगा। समितियों में दूध की वजन में कमीं एवं सम्बन्धित अन्य समस्याओं के कारण समिति के सचिव अथव अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्घ परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नहीं चढ़ाएँगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रू0 500.00 (पाँच सौ रूपये) तक आर्थिक जुर्माना किया जाएगा।
12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार–कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा–पत्रधारी चालक के अतिरिक्त एक कुशल खलासी केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत् सभी कागजातों को रखेंगे।
13. दुग्ध पथ में पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रूप से) या पूरे दूध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दुग्ध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा। समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप बंद होने के कारण संवदेक को किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा। दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा।
14. संवेदक को गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान रास्ते में या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरानामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जब्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी तथा परिवहन कार्य–क्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों के घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई सभी क्षति, दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर की जा रही दूध विपत्र भुगतान की राशि से पाँच से दस गुणा तक कटौती की जाऐगी।
15. संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार–कुशल चालक तथा खलासी रखें। समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा फेरी करते हुए पकड़े जाने पर चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को काली सूची में संघ द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा, हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी। चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर में आने के लिए संवेदक सुनिश्चत करेंगे, कि चालक तथा खलासी लूंगी पहनकर परिसर में न आये। परिवहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
16. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनामें में शामिल अथवा सम्बद्ध होते हैं, जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरनामा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।
17. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/चालान, प्रतिदिन पाप्त करने एवं डेयरी डॉक BMC पर देने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक/ड्राइवर/खलासी की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौती की जाएगी।

18. दुग्ध परिवहन की गाड़ी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रूकेगी, जहाँ सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जाएगी। संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त मांग पत्र, सामान प्राप्ति रसीद सभी सामान स्टोर को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्ट कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप रखेंगे। उसी प्रकार की वापसी में निर्गत सामान पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। डेयरी परिसर में अधिकतम 10 कि0 मी0/घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधि/खलासी/चालक द्वारा व्यवस्थित रूप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात् उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे, जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो।

वापसी के पूर्व भण्डार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भण्डार से समिति के मांग के अनुसार सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि/खलासी की होगी। उक्त शर्तो के पालन नहीं करने पर अधिकतम प्रति केस रू0 500.00 (पाँच सौ रूपये) का जुर्माना किया जायेगा।

19. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर सूचित करना होगा। उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नहीं करने की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है।

20. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है, इसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा।

21. एकरनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में संघ द्वारा अंकित गाड़ी द्वारा हीं दुग्ध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ को देनी होगी, जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नई गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नहीं हो। दुग्ध संघ, समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल–मेल रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक/संघ द्वारा निर्गत पहचान–पत्र चालक/खलासी प्रत्येक दिन दोनों पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखें तथा गेट, प्लांट या भंडार में मांगे जाने पर प्रस्तुत करें। बिना पहचान पत्र धारक किये " चालक एवं खलासी " को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके कारण हुई किसी क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

22. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध को डेयरी परिसर में पहुँचने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी परिसर के अंदर सोने नहीं दिया जायेगा। रात्रि पाली में दूध, डेयरी डॉक पर सुपुर्द करने के पश्चात् साफ केन, समान इत्यादी की आपूर्ति निर्धारित समय पर हीं की जाएगी, जिसे संवेदक प्राप्त कर गाड़ी को बाहर ले जा सकेंगें। चालक/खलासी को रात्रि पाली में परिसर में सोते हुये पकड़े जाने की स्थिति में रू0 500.00 (पाँच सौ रूपये) तक जुर्माना किया जाऐगा।

23. एकरनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नहीं होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि से कटौती की जायेगी।

24. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगाः–

अवधि	विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारीख	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि को उस पथ/कैम्प प्रभारी को विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतिकरण के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) की कटौती के पश्चात् निम्न बैंक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

1. भारतीय स्टेट बैंक।
2. पंजाब नेशनल बैंक।
3. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। परिवहन संवेदक को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरूद्ध 15 प्रतिशित ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

25. दर परिवर्तनः कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्वि अथवा कमी एक रूपये या उससे अधिक होने की दशा में अप्रैल 2026 के माह में डीजल का दर को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन बार क्रमशः 01 अप्रैल, 01 अगस्त एवं 01 जनवरी से चार–चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। वर्ष में डीजल दर 01 अप्रैल, 01 अगस्त एवं 01 जनवरी को आधार माना जायेगा। परिवर्तन के फलस्वरूप दर संशोधन हेतु डीजल की खपत प्रति लीटर बोलोरो पीकअप भान के लिए 10 कि0 मी0, टाटा–407 के लिए 08 कि0 मी0 मानकर गणना की जायेगी। दर संशोधन तबतक नहीं होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन 01 (एक) रूपये या उससे कम/अधिक नहीं होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।

26. जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की मांग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएँ। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधे प्राप्त की जायेगी। संघ द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा।

27. दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भाड़े पर रखी गई गाड़ियों से दुर्घटना या क्षति होती है तो वैसे स्थिति में क्षतिपूर्ति की सारी जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए संवेदक सीधे जिम्मेवार होंगे।

28. विभिन्न राजनीतिक पार्टीयों द्वारा पूर्ण/आंशिक रूप से भारत/बिहार बन्द के दौरान पथ में गाड़ी का परिचालन परिस्थितियों के मदे नजर संघ के निर्देशानुसार कराया जायेगा। यदि उक्त तिथि को कोई भी बी0एम0सी0 अपने निजी स्वार्थ के लिए गाड़ी का परिचालन कराते है तो वैसी स्थिति में हुए क्षति का जिम्मेवार स्वयं बी0एम0सी0 होगा। पथ जाम/पथ में दुर्घटना की स्थिति मे जिसमें जान–माल की क्षति होती है। वैसी स्थिति में 20 प्रतिशत समिति, 20 प्रतिशत संवेदक एवं 60 प्रतिशत संघ हुए दुग्ध की क्षति का वहन करेगी। इसका जिक्र किसी दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए।

29. प्राकृतिक आपदा, आँधी तुफान, चक्रवात, बर्फ गिरना, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि कारणों से यदि पथों में दुग्ध की क्षति होती है तो वैसी स्थिति में 10 प्रतिशत समिति 80 प्रतिशत संघ तथा 10 प्रतिशत परिवहन संवेदक द्वारा हुए दुग्ध क्षति का वहन करेगी, बर्त्ते की इसका जिक्र किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हो।

30. अभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत् प्रावधानों, व्याख्याओं, अधिकारो, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कार्य का क्षेत्र, व्यवहार न्यायलय आरा होगा।

31/x/25

प्रबंध निदेशक

Prakash Aditya & Associates PATNA Chartered Accountants

01.10.25

SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. KATIRA, ARA -802301

शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा, आरा –802301

आरा डेयरी, कैम्प– भोजपुर

कमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि0 मी0)	कहाँ से कहाँ तक
1	1	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	124	गोठहुला भाया नसरतपुर बचरी से बी0एम0सी0 लोदीपुर।
2	2	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	124	कुल्हडियाँ भाया बीरमपुर, सकड़ी से बी0एम0सी0 लोदीपुर।
3	2 + 3	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	140	गुलाब छपरा, बड़ा चन्दा भाया सोनघट्टा से बी0एम0सी0 धुसरिया।
4	4	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	160	उदयमानपुर भाया कृष्णागढ, सरैंया से आरा डेयरी आरा।
5	4 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	172	सैदपुर, सोहरा, जीवा राय के टोला भाया महिला मंझौली से बी0एम0सी0 धुसरिया।
6	1 + 5	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	136	बरूहीं भाया भटौली, पिंजरोई से बी0एम0सी0 महिला फुलारी।
7	6	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	90	काउप भाया चाँदी, मानसागर से बी0एम0सी0 महिला इटौर
8	5 + 6 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	150	वैसाडीह भाया बड़का गाँव से बी0एम0सी0 भरकुरिया।
9	6 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	112	सिकरहटा भाया सहियार से बी0एम0सी0 ईमादपुर।
10	5 + 6	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	110	महिला खैरूलाचक भाया धनछुआँ से बी0एम0सी0 इमादपुर।
11	7 B	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	135	कथराई भाया बड़हरा भाया बलिगाँव से बी0एम0सी0 सियाडीह।
12	7 C	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	60	पसौर भाया चाँद डीहरी से चरपोखरी बी0एम0सी0।
13	7 + 8	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	92	महिला सलखना भाया लहराबाद से बी0एम0सी0 चतुर्भुज बरॉव।
14	8 + 8 A	टाटा मैजिक / समतुल्य	70	लक्ष्मीपुर भाया श्री नगर से बी0एम0सी आर0 के0 बथान।
15	8 A	टाटा मैजिक / समतुल्य	70	बैना जमुनीपुर भाया चौबेपुर से बी0एम0सी0 चतुर्भुजी बराँव।
16	12 + 30	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	114	हरिहरपुर भाया गोपालपुर, चमरपुर से बी0एम0सी0 महुआँव।
17	12 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	130	कुण्डेसर भाया विशुपुर से बी0एम0सी0 लालू डेरा।
18	30 A	बोलोरो पिकअप / समतुल्य	92	जोरवरपुर भाया कल्याणपुर, धमार से आरा डेयरी, आरा।

दुग्ध शीतक केन्द्र, टोला शिवन राय बलियाँ (यू0पी0)

कमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि0 मी0)	कहाँ से कहाँ तक
1	50	बोलोरो पिकअप भान	82	डागराबाद, गोपालपुर,दलन छपरा, जानकी बाजार, लक्ष्मण छपरा बी0एम0सी0 टोला शिवन राय।
2	51	बोलोरो पिकअप भान	134	सुहवल, सहतवार, रेवती, नयका गाँव, धतुरी टोला, सुकरौली, कणछपरा, बी0एम0सी0 टोला शिवन राय।
3	53	बोलोरो पिकअप भान	144	रामपुर मसरिक, हनुमान गंज ,श्रीनगर, रानीगंज, माधोमिश्रा के टोला, भुआल छपरा, भगवानपुर, बी0एम0सी0 टोला शिवन राय।

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. KATIRA, ARA -802301
शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कतिरा, आरा –802301

शीतक कन्द्र डुमराँव, कैम्प– बक्सर

क्रमांक	पथ संख्या	गाड़ी का प्रकार	दूरी (कि0 मी0)	कहाँ से कहाँ तक
1	9 + 10	टाटा 407	120	रामपुर भाया कोरान सराय से एम0सी0सी0 डुमराँव।
2	9 C	पीक–अप	134	परमडीह भाया रूपसागर से बी0एम0सी0 अवाढ़ी।
3	10	टाटा 407	140	मठिला भाया मोतिसाबाद से एम0सी0सी0 डुमराँव।
4	10 + 11	पीक–अप	182	रहथुआ भाया बंजरीया से एम0सी0सी0 डुमराँव।
5	11	टाटा 407	100	महिला बालापुर भाया सिमरी, नगवा से एम0सी0सी0 डुमराँव।
6	11 A	पीक–अप	96	सुचित के डेरा भाया चाँदपाली से एम0सी0सी0 डुमराँव।
7	15	पीक–अप	122	पर्वतचक भाया पूर्वी बन्नी से बी0एम0सी0 कनेहरी।
8	15 A	पीक–अप	212	इन्दौर भाया राजपुर से एम0सी0सी0 कोचस।
9	15 B	पीक–अप	141	छितन डिहरा भाया अकोड़ी बन्नी से बी0एम0सी0 कनेहरी।
10	15 C	पीक–अप	264	धर्मपुरा भाया काशीपुर से एम0सी0सी0 कोचस।
11	20	पीक–अप	146	कोपवा भाया हाता से एम0सी0सी0 डुमराँव।
12	20 A	पीक–अप	140	महदह भाया पहाड़पुर से बी0एम0सी0 सिकरौल।
13	20 A (अति0)	पीक–अप	136	सावना भाया बसाव से बी0एम0सी0 अवाढ़ी।
14	21	पीक–अप	146	देवीडिहरा भाया हंकारपुर से बी0एम0सी0 देवढ़ीया।
15	10+11+26	पीक–अप	96	महिला नन्दन भाया मनकी से बी0एम0सी0 बराढ़ी।
16	27	पीक–अप	124	चकहसी भाया नावाडेरा से एम0सी0सी0 डुमराँव।
17	28 A	पीक–अप	106	राजापुर भाया दुरासन से एम0सी0सी0 डुमराँव।
18	35	पीक–अप	146	हीरा के डेरा भाया धरहरा से एम0सी0सी0 डुमराँव।

Prakash Aditya & Associates * Chartered Accountants * PATNA

03.10.25